सम्पादक के नाम

हिंदू स्त्री तुम्हारी आज़ादी ?

"पिता रक्षित कौमारे , भर्ता रक्षित यौवने
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा ,न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति।"

यह श्लोक मनुस्मृति में है जिसमें भारतीय स्त्री के जीवन की तीन अवस्थाओं के सुरक्षा और संरक्षण की नियति दर्ज हैं। पौराणिक युग से लागू होता हुआ यह श्लोक आज तक चला आरहा है जिसका अर्थ है कि कुंवारेपन में पिता स्त्री की रक्षा करता है तो युवावस्था में उसकी रक्षा पति के हवाले रहती है और वृद्धावस्था में उसके सुरक्षा तथा संरक्षण की कमान उसके पुत्र के हाथ में आजाती है। सुरक्षित संरक्षण देने वाले पिता, पति और पुत्र , इन तीनों पुरुषों के स्त्री के लिये अपने बनाये सुरक्षित परकोटे भी होते हैं । इन परकोटों में बन्द औरत दूसरों की मनमानी से बची रहती है तो अपनी भी चाहनाओं पर मर्दाने अंकुश के नीचे रहने के लिये मजबूर होती है। ज़ाहिर है जो कुछ पिता नहीं चाहते , जो व्यवहार पति को पसन्द नहीं आता या बुढ़ापे में माँ की जो बातें बेटे को खुश नहीं रख सकतीं , स्त्री को उनसे हमेशा साबधानी बरतनी होगी ।मानते रहना होगा कि उसको अपने बारे में न कुछ सोचने की ज़रूरत है और न अनाधिकारिक चेष्टा की कोशिश करने की फ़ालतू कसरत करने की आवश्यकता ।

पुरुष सत्ता की बनाई इसी व्यवस्था को आदर्श माना गया । स्त्री ने भी इस गुलामी के आनन्द पर एतराज करने की ज़रूरत नहीं समझी क्योंकि समझाया यही गया कि पुरुष सत्ता के फ़रमान उसकी ज़िन्दगी को सुरक्षित रखने और उसके लिये रहने खाने की सुविधा जुटाने के लिये हैं । पिता बचपन में पालेगा और फिर ' योग्य वर ' देखकर विवाह कर देगा ।पिता की ज़िम्मेदारी बेटी के प्रति खत्म होजायेगी क्योंकि वह पति के घर चली जायेगी। पिता की ज़िम्मेदारी मानी ही यहीं तक गयी है , बेटी को पराये घर भेज दें । माँ बाप दिल से आशीष देते हैं कि बिटिया हर हाल में खुश रहे । खुश रहेगी या नहीं , यह उन्हें भी नहीं पता । बस "पिता रक्षति कौमारे" वाला ' कर्तव्य ' पूरा हुआ ।अब ज़मीन जायदाद से लेकर तमाम हिस्सेदारियाँ बेटे के लिये ।

पति परायणा स्त्री श्रेष्ठ मानी जाती है ।अब लगाम ही पति नाम के महोदय के हाथ में आगयी तो दायें बांये देखना कैसा ? मनुस्मृति में पतिव्रत को स्त्री धर्म से जोड़ा गया है और धर्म पुण्य में शामिल हैं ।यह सब उस मनुष्य के लिये है जिसे स्त्री का परमेश्वर कहा गया है ।भारतीय नारी ने उपदेशों को सिर माथे लिया है । समाज में उसके लिये निर्धारित नियम रूपी आदेश उसके खून के रूप में शिराओं में बहते हैं ।तभी तो वह सारे व्रत उपवास पति और पुत्र के लिये करती है । पति की लम्बी उम्र के लिये तमाम सुहाग चिन्ह धारण करती है । पतिव्रत धर्म के पालन के दौरान वह भूल जाती है कि सिन्दूर से रंग पुत कर उसका अपना रूप क्या होगया है ।वह व्रत की कथा सुनती है और पढ़ती है मगर यह नहीं सोच पाती कि इस कथा का मर्म क्या है? उसे तो पतिपरायणा रहना है क्योंकि पति जवानी में उसकी रक्षा करता है ,उसे संरक्षण देता है । वह हर हाल में दाता है । दाता का दर्जा अपने बराबर करके देखना उसे पाप से ज़्यादा अपराध लगता है। पाप का दण्ड होता हो न होता हो लेकिन स्त्री के अपराधों की संगीन सजायें हुआ करती हैं। अत: स्त्री मनुस्मृति के विधान को मान कर चलती है । इस आधुनिक समय में बहुत सी औरतों ने मनुस्मृति का नाम भी नहीं सुना होगा मगर वे पालन उन्हीं आदेशों का कर रही हैं जो वहाँ बताये गये हैं ।ऐसा न होता तो स्त्री वर्ग की ओर से उन अंधविश्वासों और कर्मकांडों पर तर्क तो ज़रूर होते ,सवाल उठते और शिक्षित वर्ग में बहसें भी होतीं । लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता । आज की जीन्स गॉगल लगाकर धड़ाधड अंग्रेज़ी बोलनेवाली आधुनिकायें हाथों में कोहनी तक चूड़ा पहनने , छोटे टॉप पर लम्बा मंगल सूत्र लटकाने और मेंहदी में बाँहें पोत लेने का नया फ़ैशन लागू कर चुकी हैं । हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे देश की नयी से नयी युवा स्त्री पीढ़ी अभी ' यौवने पति रक्षति ' के सूत्र को ज़िन्दा रखे हुये है ।यों तो यह मानने वाली बात नहीं क्योंकि आज की महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हुई है । मगर यह आत्मनिर्भरता भी उसी की आँखों के इशारे देखती हुई चलती है जिसे स्त्री का रक्षक मनुस्मृति ने घोषित किया है ।नहीं तो पति पत्नी वाले संबंध लड़खड़ाने लगते हैं और एक दिन टूट जाते हैं ।तब मानना पड़ेगा कि स्त्री अभी-अभी शारीरिक तौर पर पहनावे उढावे से भले बदल गयी हो उसके मन में मनुस्मृति के विधान जीवित हैं ।

अब तीसरी अवस्था की बात आती है । सच यह कहावत सिद्ध है कि ' बेटा जाये खुशी और बेटा ब्याहे खुशी। 'जब स्त्री बेटे को जन्म देती है तो उसका कद बढ़ जाता है । ये बातें तो पुरानी हैं लेकिन आज तक इन पर अमल हो रहा है। हाँ बुढ़ापे में बेटा संरक्षण देता है ।इस बात में थोड़ा बहुत परिवर्तन हम देख सकते हैं । आज कल बेटियाँ भी संरक्षण दे सकती हैं और देती भी है ।मगर स्त्री कहाँ स्वतंत्र है ? क्या उसकी अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला होगा ? बेटीके घर भी उसका पति है ।

आजकल का चलन जो माँ रूपी स्त्री के लिये है वह बच्चों के बच्चे पालने का है। यह चलन बड़े दायरे लागू हो चुका है। हमारे देश में इतना नहीं विदेशों में बसे बेटी बेटे माँ को बड़े प्यार से और अधिकार से पुकार लेते हैं । हमारे बीच ऐसे बेटी बेटों के गुणगान होते रहें हैं । वह तो अब पता चला है कि उनको केवल माँ की ज़रूरत होती है ।माँ से ज़्यादा अपना कौन होगा ।होता भी नहीं कोई । कोई सहायक नहीं होता क्योंकि वहाँ सेबिका बहुत मंहगी आती है और माँ तो अनमोल होती है । ऐसे मामलों में पिता की ख़ास ज़रूरत नहीं होती। कितनी ही माओं ने वहाँ ऐसा ही जीवन अपना लिया है ।वे बच्चों के बच्चे पालने के लिये अपना घर द्वार और जाना पहचाना समाज छोड़कर अनजान अनपहचान माहौल में रहने को लेकर खुश हैं या परेशान हैं , कौन जानता है ? मामला "रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा" का है ।मनुस्मृति काम कर रही है ।हम देश से विदेश तक मनुस्मृति को जीरहे हैं , हिंदू स्त्री को स्वतंत्रता कहाँ ?

- मैत्रेयी पुष्पा

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

महिला कॉलेज में पेड़ काटने का मामला पुलिस द्वारा लीपापोती की कोशिश

फ़रीदाबाद (म.मो.) के पिछले अंकों में आप पढ चुके हैं कि दो साल के लम्बे अंतराल के बाद राजकीय महिला कॉलेज फ़रीदाबाद में अवैध सा पेड़ काटने के मामले में जनवरी 2020 में जाकर पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ। हम यह भी लिख चुके हैं कि मुकदमा सिर्फ़ एक क्लर्क-उपअधीक्षक चमन प्रकाश पर दर्ज हुआ और प्रिंसिपल साफ़ बच गई या बचा ली गई। करीब डेढ साल पहले मज़दूर मोर्चा इस सो कांड पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी छाप चुका है। उसमें भी इस चोरी में प्रिंसिपल भगवती राजपूत की भूमिका पर सवाल उठाये गये थे। लेकिन एक लूला लंगड़ा सा मुकदमा सेक्टर 17 के थाने में दर्ज हुंआ जिसकी तहकीकात सेक्टर 16 की पुलिस चौकी के एक एएसआई को दी हुई है।

विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इस मामले में पुलिस अधिकारी जांच कर्ता व अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को डरा धमका कर केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो शिकायतकर्ता कॉलेज के चौकीदार तेजराम को चौकी में बुलाकर धमकाया गया कि उसने पांच-छ: पेड़ काटने की 'छोटी सी बात' का बतंगड़ बना कर यहां तक पहुंचा दिया। यह भी कहा गया कि उसके पास कोई सबूत नहीं है और उसको धमकाया गया। लेकिन चौकीदार अपनी बात पर डटा रहा बताते हैं।

उसके बाद बारी आयी कॉलेज में उन प्रोफ़ेसरों की जो कॉलेज की उस कमेटी के सदस्य थे जिसने इस मामले की जांच की थी। बताया जाता है कि इन जांचकर्ता पुलिस अधिकारी महोदय ने इन प्रोफेसरों को धमकाने के अंदाज में कहा कि उन्होंने कॉलेज के उपअधीक्षक चमन प्रकाश मंगला को अपनी रिपोर्ट में दोषी कैसे ठहरा दिया। उसके अभद्र लहजे पर इन प्रोफ़ेसरों को धमकाने के अंदाज में कहा कि उन्होंने कॉलेज के उपअधीक्षक चमन प्रकाश मंगला को अपनी रिपोर्ट में दोषी कैसे ठहरा दिया। उसके अभद्र लहजे पर इन प्रोफेसरों ने आपत्ति उठाई और उसे नम्रता से बात करने की सलाह दी। बता दे कि इस अधिकारी ने इन महिला प्रोफेसरों को चौकी में आने को भी कहा जो कि नियम और शिष्टाचार दोनों के विरुद्ध है। उसका व्यवहार ऐसा दर्शाता है जैसे कि कॉलेज की ये प्रोफ़ेसर तो अभियुक्त हैं और नामजद आरोपी चमन प्रकाश निर्दोष। हालांकि प्रोफ़ेसरों ने बिना किसी लिखित नोटिस के चौकी पर आने से मना कर दिया और उसे इस सम्बंध में कॉलेज की प्रिंसिपल से सम्पर्क करने को कहा। ध्यान रहे कि कॉलेज कमेटी इस मामले में जांच करके रिपोर्ट मार्च 2018 में ही कॉलेज की तत्कालीन प्रिंसिपल श्रीमती भगवती राजपूत को सौंप चुकी थी।

इस तरह का व्यवहार जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

यौन उत्पीड़न आरोपी प्रो. वशिष्ठ का तबादला हुआ

राजकीय महिला महाविद्यालय बल्लबगढ में तैनात प्रोफेसर चन्द्रशेखर वशिष्ठ का तबादला तुरन्त प्रभाव से राजकीय महाविद्यालय छिलरो (महेन्द्रगढ) कर दिया गया है। प्रिंसिपल ने आदेशों का पलना करते हुये उन्हें अगले ही दिन कार्यमुक्त करते हुये 'छिलरो' कॉलेज में ज्वाईन करने के निर्देश दिये।

बता दें कि प्रो. वशिष्ठ का नाम राजकीय महिला महाविद्यालय फ़रीदाबाद में छात्राओं के यौन शोषण की कोशिश के एक मामले में सामने आया था। पुलिस में केस दर्ज होने के बाद उन्हें सरकार ने सेवा से निलम्बित कर दिया था। बहाल होने के बाद उन्हें 6 जनवरी 2020 को महिला महाविद्यालय बल्लबगढ में तैनात किया गया था। उनकी इस तैनाती पर कॉलेज प्रिंसिपल ने सवाल उठाते हुये विभाग को एक पत्र लिखा था। 'मज़दूर मोर्चा' ने भी इस विषय पर लिखा था कि ऐसा करके सरकार ने प्रो. वशिष्ठ की बेगुनाही में विश्वास जताया है या नहीं यह सरकार द्वारा प्रिंसिपल के पत्र के जवाब से पता चलेगा।

सरकार द्वारा उनकी बदली महिला कॉलेज के दूसरे कॉलेज में करने से यह स्पष्ट है कि सरकार कोर्ट के फैसले और विभागीय जांच के बाद ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेगी। उनके स्थानांतरण आदेश में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उनके ऊपर नैतिक आचरणहीनता (मोरल ट्रपीट्यूड) के आरोप होने के कारण उनकी बदली महिला कॉलेज से दूसरे कॉलेज में की जा रही है।

यह पता नहीं चल पाया कि क्या उन अफ़सरों और क्लर्कों पर भी कोई कार्यवाही हुई जिन्होंने चालाकी से राजकीय महिला कॉलेज की बजाय सिर्फ़ राजकीय कॉलेज बल्लबगढ लिखकर प्रोफेसर वशिष्ठ को यहां तैनाती पाने में मदद की। जब तक ऐसे निकृष्ट के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होगी तब तक सरकार को कभी भी ऐसे ही थूक कर चाटना पड़ सकता है और शर्मिन्दगी उठानी पड़ सकती है। दो एक साल पहले तिगांव कॉलेज में प्रिंसिपल का पद खाली दिखाकर इकबाल सिंह वहां पहुंच गये थे जबकि वहां मैडम संध्या पहले से तैनात थी।

आपके बेटों को क्या मिला ?

गांव में ही किसी बुजुर्ग से सुना था, "भेड़ों की पीठ पर चढ़कर ऊपर वाली एक भेड़ ने आसमान छू लिया, इससे नीचे वाली भेड़ों को क्या मिला?"

हिंदुओं के साथ यही हो रहा है!

- वर्तमान में मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल हिमांचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं.

- वर्तमान में सांसद परवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं.

- वर्तमान में गृहमंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया है.

तीनों के बेटे सेट हैं, तीनों के बाप सेट थे. इनके बच्चे मोंटेसरी स्कूलों में पढ़ते हैं, जवानी विदेशों में काटते हैं. वापस इंडिया आकर चुनाव लड़ते हैं, इनके गले में माला पड़ती है, तिलक लगता है, आप भीड़ में नीचे जमीन पर बैठते हैं ये मंच पर चढ़ते हैं, माइक पकड़कर ये आपसे कहते हैं

" गोली मारो सालों को"

और आप गोली चला देते हैं, आपको क्या मिला? आपको पुलिस पकड़ ले जाएगी, न अनुराग आएगा, न अमित शाह आएगा. उसका गार्ड ही लात मारकर भगा देगा. पूरी जिन्दगी कोर्ट-कचहरी.

ऐसे ही आप राममंदिर में लगा दिए गए थे, आपने कारसेवा की. आप जैसे एक हजार से अधिक लोग एक अपने घरों पर कभी भी वापस न आ सके. किसी एक नेता के बेटे का नाम गिना दो, जिसने मस्जिद का एक पत्थर भी उखाड़ा हो? एक नेता का नाम गिना दो जो आपके साथ हथौड़ा चला रहा हो, पुलिस से लाठियां खा रहा हो.

आप जमीन पर नेता को सुन रहे थे, आप पुलिस पर पिट रहे थे, आप पुलिस की लाठी खा रहे थे, आपका नेता मंच से आपको आदेश दे रहा था, "मस्जिद तोड़ दो"

आपको क्या मिला?

आपका नेता कल्याण सिंह आज राज्यपाल है, राजभवन में रहता है, उसका बेटा राजवीर सिंह आज सांसद है, सांसद भवन में रहता है, दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में घर मिला हुआ है.

उसी समय रथ यात्रा निकालने वाला आज इस देश का प्रधानमंत्री है, 7 आर सी आर पर शानदार भवन है, पीएम आवास में रहता है.

उसी समय जमीन समतल करने की बात कहने वाले अटल बिहारी बाजपेयी प्रधानमंत्री बने, मस्त जिंदगी जी.

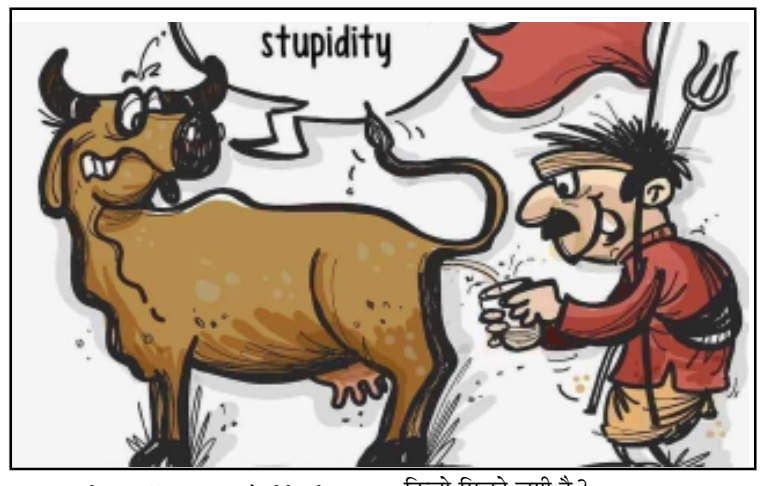

आपको क्या मिला? आपके बेटे को क्या मिला?

आप निचली वाली भेड़ ही रहे न, क्या आपके बच्चे के लिए आपके नेता ने आपके गांव के सरकारी अस्पताल को दुरस्त करा दिया?

क्या आपके इलाज के लिए जिला अस्पताल में सारी सुविधाएं हैं?

क्या आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में आपको अब लाइन में नहीं लगना पड़ता?

क्या आपके गांव की सड़क उधड़ी हुई नहीं रही.

क्या आपके खाने की दाल अब 40 रुपए किलो मिलने लगी है?

क्या आपके बच्चे जिस किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके एग्जाम बिना किसी घपले के हो जा रहे हैं? कितनी वेकैंसियां निकली हैं? क्या आज पुलिस वाला आपसे रिश्वत नहीं लेता?

आपको पता ही नहीं है आप निचली वाली भेड़ हैं, जिनपर चढ़कर आपका नेता मौज मार रहा है. आपको लग रहा है मुसलमान को मजा चखाया जा रहा है. लेकिन ऐसे अयोग्य लोग किसकी कीमत पर मजा चखा रहे हैं? आपको मालूम है?

-श्याम मीरा सिंह

बीपीटीपी की पालतू.....

पेज एक का शेष

भी पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया। पल्ला झाड़े भी क्यों नहीं आखिर पल भी तो रहे हैं बिल्डर के ही टुकड़ों पर। लेकिन पुलिस को यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि उनका वेतन-भत्ते आदि सब जनता के खून-पसीने की कमाई से ही आता है और कानून भी कोई चीज़ है। जनता जब अपना कानूनी हक लेने पर उतारू हो जायेगी तो पुलिस को पीछा छुड़ाना भारी पड़ सकता है।

कॉलोनी की वैलफ़ेयर एसोसिएशन के प्रवक्ता ने अपने लिखिल बयान में बताया कि बिल्डर ही उक्त बदमाशी के अलावा उसने इस कॉलोनी व इसमें बने मकानों के नक्शों का नगर निगम से विधिवत अनुमोदन तक नहीं कराया। इसका खामियाज़ा निवासियों को तब भुगतना पड़ा जब वे अपने मकानों में आवश्यक सुधार एवं निर्माण सम्बन्धित नक्शों का अनुमोदन कराने ज़िला योजनाकार कार्यालय पहुंचे। इससे भी गंभीर बात तो यह है कि यह बिल्डर इतना बड़ा निर्माण बिना किसी अनुमोदन के करता रहा और कोई सरकारी बाबू उसे पूछने तक नहीं आया और ज्यों ही उसने मकान बेच दिये त्यों ही भूखे भेड़ियों की तरह निवासियों पर लपलपाने लगे। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि कॉलोनी वासियों ने चंदा एकत्र करके 50000 रुपये की लागत से दोबारा दीवार बना दिया है। इसे लेकर बिल्डर के पाल्तू कर्नल आनंद व विनोद शर्मा अपने बाऊंसरों से परिणाम भुगतने की धमकियां दिलवा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि नगर योजनाकार ने इतनी बड़ी कॉलोनी बिना नक्शा पास कराये बनाने कैसे दी? इतना ही नहीं अब बिल्डर की इच्छानुसार कॉलोनी के जोनिंग प्लान में संशोधन भी कर दिया। जाहिर है, अकेली पुलिस ही नहीं सारी सरकार बिकाऊ है।